भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †61

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन उद्योग के लिए एकसमान कर संरचना

†61. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह मानती है कि देश में पर्यटन उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत अलग-अलग कर स्लैब दरों के अधीन हैं और यदि हां, तो इन भिन्न दरों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सेवा प्रदाताओं के लिए परिचालन को सरल बनाने तथा उद्योग में सुसंगतता बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्र हेतु एक समान कर संरचना स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सफल अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों के आलोक में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड द्वारा नियोजित नीतियां अर्थात इवेंट मार्केटिंग, द्वितीयक गंतव्यों को बढ़ावा देना, सेलिब्रिटी और इंफ्लुएंसर को शामिल करना और वीज़ा छूट प्रदान करना जैसी नीतियों पर विचार करने की योजना बना रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कर दरों और जीएसटी में समायोजन देश में किस प्रकार भूमिका निभाता है; और

(ङ) भारतीय पर्यटन उद्योग में विनियमनों को सरल, युक्तिसंगत और कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): जी हां। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है और जिसमें केंद्र और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पर्यटन उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए मौजूदा जीएसटी दर संरचना निम्नानुसार है:

सेवा	जीएसटी दर
टूर ऑपरेटर सेवा	इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5% (लेकिन सामान रूप के व्यवसाय में इनपुट सेवाओं के लिए आईटीसी की अनुमति है) निम्नलिखित शर्त के अध्याधीन: इस सेवा की आपूर्ति के लिए जारी किए गए बिल से पता चलता है कि इसमें ऐसे दौरे के लिए आवश्यक आवास और परिवहन के शुल्क शामिल हैं और बिल में वसूल की गई राशि ऐसे दौरे के लिए ली जाने वाली सकल राशि है, जिसमें ऐसे दौरे के लिए आवश्यक आवास और परिवहन के शुल्क शामिल हैं। या 18% आईटीसी के साथ।
होटल आवास सेवाएँ	12% (जहां आवास इकाई की आपूर्ति का मूल्य 7500/- रुपये प्रति यूनिट प्रति दिन, या उससे कम या उसके बराबर या समतुल्य है)। 18% (जहां आवास इकाई की आपूर्ति का मूल्य 7500/- रुपये प्रति यूनिट प्रति दिन से अधिक या उसके समतुल्य है।
रेस्तरां सेवाएं	'निर्दिष्ट परिसर' में प्रदान की जाने वाली रेस्तरां सेवा के अलावा अन्य सभी मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5% है। 18% - जहाँ रेस्तरां सेवा 'निर्दिष्ट परिसर' में प्रदान की जाती है। "निर्दिष्ट परिसर" का अर्थ है 'होटल आवास' सेवाएँ प्रदान करने वाला परिसर, जिसका घोषित टैरिफ प्रति यूनिट प्रति दिन सात हज़ार पाँच सौ रुपये या उसके बराबर है।
क्रूज़ पर्यटन	वर्तमान में, क्रूज़ पर्यटन पर 18% की मानक दर से जीएसटी लगता है।

पूर्व में जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, कर संरचना में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पर्यटन उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. 7,500 रुपये से अधिक के होटल के कमरों पर लागू जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।
ii. 7,500 रुपये और उससे कम के होटल के कमरों पर लागू जीएसटी की दर को 12% की समान दर पर रखा गया है।
iii. रेस्तरां के वातानुकूलित होने या न होने पर ध्यान दिए बगैर, बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% की समान जीएसटी दर लागू की गई है।

(ग): पर्यटन मंत्रालय एकीकृत विपणन और संवर्धनात्मक कार्यनीति तथा यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से आपसी तालमेल वाले अभियानों के माध्यम से भारत में पर्यटन का समग्र रूप से संवर्धन करता है:

(i) अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों, जैसे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट (डब्ल्यूटीएम) लंदन, फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो (फिटूर) मैड्रिड, इंटरनेशनल ट्रेवल एण्ड हॉस्पिटेलिटी शो (एमआईटीटी) मॉस्को, एशिया पैसिफिक इंसेंटिव्स एंड मीटिंग्स इवेंट (एआईएमई) सिडनी, इंटरनेशनल टूरिज्मसबोर्स (आईटीबी) बर्लिन, अरेबियन ट्रेवल मार्केट (एटीएम) दुबई, इंटरनेशनल मीटिंग एक्सचेंज (आईएमईएक्स) फ्रैंकफर्ट, इंटरनेशनल एंड फ्रेंच ट्रेवल मार्केट (आईएफटीएम) टॉप रेसा पेरिस, जापान एक्सपो, इंटरनेशनल टूरिज्मसबोर्स एशिया (आईटीबी एशिया), सिंगापुर आदि में भागीदारी।

(ii) मंत्रालय द्वारा एक बड़े भारतीय डायस्पोरा को अतुल्य भारत का दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करने और हर वर्ष अपने पांच गैर-भारतीय मित्रों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'चलो इंडिया' पहल शुरू की गई है।

(iii) प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण के लिए 'चलो इंडिया' पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसके अलावा, रेफरल कार्यक्रम के तहत भारत आने वाले एक लाख विदेशी पर्यटकों के लिए नि:शुल्क ई-वीजा की घोषणा की गई थी।

(iv) पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 27 सितंबर, 2024 को नवीकृत अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल (www.incredibleindia.gov.in) पर अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया है। अतुल्य भारत कंटेंट हब उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशर और समाचार पत्रों का एक व्यापक डिजिटल भंडार है, जिसे दुनिया भर में उद्योग के हितधारकों (ट्रेवल मीडिया, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट) द्वारा आसानी से देखा जा सकता है और जो सभी विपणन और प्रचार संबंधी प्रयासों में अतुल्य भारत के संवर्धन के लिए आवश्यक है। यह नवीकृत अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल एक पर्यटक-केंद्रित, वन-स्टॉप डिजिटल समाधान है, जिसे भारत आने वाले अतिथियों के लिए उनके यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

(v) मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा करने के लिए मीडिया हस्तियों, टूर ऑपरेटरों और विचारकों को आमंत्रित करना।

(vi) विदेशों में ये संवर्धन कार्य राज्य सरकारों और 20 चिह्नित भारतीय मिशनों सहित प्रवासी भारतीय मिशनों के सहयोग से किए जा रहे हैं।

(vii) वीजा जारी करने में सुगमता लाने के लिए भारत सरकार 167 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा प्रदान करती है। ई-वीजा वर्तमान में नौ उप-श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध है और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की जाती है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि थाईलैंड के नागरिकों को 1 जुलाई, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक छह महीने के लिए या अगले आदेश तक

दोहरे प्रवेश के साथ निःशुल्क आधार पर 30 दिन का ई-पर्यटक वीजा दिया जा सकता है। साथ ही, मलेशियाई नागरिकों को भी 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक एक वर्ष के लिए या अगले आदेश तक दोहरे प्रवेश के साथ निःशुल्क आधार पर 30 दिन का ई-पर्यटक वीजा दिया जा सकता है।

(घ): कर दरों और जीएसटी में समायोजन उद्योग जगत की आवश्यकताओं को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु सरकार के लिए राजस्व जुटाया जा सके।

(ई): पर्यटन मंत्रालय होटल, हेरिटेज होटल, लीगेसी विंटेज होटल, गेस्ट हाउस, टाइमशेयर रिसॉर्ट्स, ऑपरेशनल मोटल, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे प्रतिष्ठान, टेंट आवास, के साथ-साथ ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स, स्टैंड-अलोन एयर कैटरिंग इकाइयां, कन्वेंशन सेंटर, स्टैंडअलोन रेस्तरां और अन्य पर्यटन सेवा प्रदाता जैसे टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट और पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों का उपर्युक्त श्रेणियों के लिए जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण/अनुमोदन/वर्गीकरण करता है।

****